

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 265

प्रकरण क्रमांक- M-PRO-2025-02894

आवेदक : श्रीमती शकुन्तला दलहान, पता-अशोका इम्प्रेशियन, 306-डी, शंकरा हुंडई के पास, मोवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध (1) श्री सुनील साहू, (डायरेक्टर), पता-स्वास्तिक एस्टेट्स, तृतीय तल, शुभम कार्पोरेट, एयरटेल ऑफिस के सामने, तेलीबांधा, रिंग रोड नं.-01, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "कल्पवृक्ष", पता-कोलर एवं टेकारी, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 04/07/2025 | <p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रतिनिधि श्री रवि खण्डेलवाल उपस्थित।</p> <p>अनावेदक द्वारा कथन किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01734 में दिनांक 02.09.2022 को आवेदिका के पक्ष में रुपये 1,01,000/- एवं ब्याज राशि रुपये 33,818/- भुगतान करने हेतु आदेश पारित किया गया था। अनावेदक द्वारा यूनियन बैंक के एकाउंट नं.- 179711100002935 दिनांक 30.01.2023 को एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से रुपये 1,34,818/- का भुगतान कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रकरण को समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण पूर्व निर्णीत सिद्धांत के आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> | |